न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 4 / 2016 जिला दौसा

1. गणपत सिंह पुत्र स्व. श्री सूरजन सिंह, जाति राजपूत, निवासीपीलवा कलां, तहसील सिकराय, जिला दौसा राज. (मृतक)
1/1 गौमती कंवर उर्फ गौमती देवी पत्नी स्व. गणपत सिह, उम्र 68 वर्ष
1/2 विजय सिंह पुत्र स्व. श्री गणपत सिंह, उम 40 वर्ष
1/3 शेर संह पुत्र स्व. श्री गणपत सिंह, उम्र 28 वर्ष
1/4 जीवन सिंह उर्फ पिन्टू सिंह पुत्र स्व. श्री गणपत सिंह, उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये वलि माता गौमती कंवर उर्फ गौमती देवी
1/5 आशा देवी पुत्री पुत्र स्व. श्री गणपत सिंह , उम्र 25 वर्ष
समस्त जाति राजपूत, निवासी पीलवा कलां, तहसील सिकराय, जिला दौसा, हाल निवासी 202, सूर्य नगर (गालव नगर) जयपुर जिला जयुर (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. शम्भू सिंह पुत्र फूल सिंह, जाति राजपूत, निवासी अगावली, तहसील सिकराय, जिला दौसा
2. अमर सिंह
3. बने सिंह
4. मदन सिंह
पिसरान स्व. श्री सूरजन सिंह, जाति राजपूत निवासी पीलवा कलां, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
5. ग्रम पंचायत दुब्बी तहसील सिकराय जरिये सरपंच ग्रम पंचायत दुब्बी, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
6. उप खण्ड अधिकारी, सिकराय, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
7. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 14.3.2015

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार शर्मा
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक – 23.10.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 14.3.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम पीलवा कलां , तहसील सिकराय, जिला दौसा स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 153 से 156/1 एवं 157 से 164 कुल किता 12 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार जीवन सिंह था जिसके सुरजन सिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्रान व सोना बाई पुत्री थी जिनमें से सुरजन सिंह के फौत होने पर उसके पुत्रान गणपत सिह, अमर सिंह, बनेसिंह, मदन सिंह का राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हुआ तथा इसके बाद लक्ष्मण सिंह खातेदार के लॉऔलाद फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 130 ग्रम पंचायत दुब्बी द्वारा दिनांक 20.10.1987 को उसके भाई सुरजन सिंह के पुत्रान अपीलान्ट गणपत सिंह एवं रेस्पोंडेन्ट अमर सिंह, बने सिंह व मदन सिंह पिसरान सुरजन सिंह के नाम तस्दीक कर दिया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 130 दिनांक 20.10.87 से व्यथित होकर मृतक लक्ष्मण सिंह की बहिन सोना बाई (फौत) के पुत्र शम्भू सिंह नेअपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत की जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.3.2015 पारित किया कि " भूमि पर अपीलांट का हक व हिस्सा बनता है । अपीलांट को बिना सुने नामांतरकरण गलत रूप से खोला है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 130 दिनांक 20.10.87 वाके ग्रम पीलवा कलां तहसील सिकराय निरस्त किया जाता ह एवं प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि मूल खातेदार के सम्पूर्ण वारिसान की पूर्ण जॉच कर उभयपक्षों को सुनकर साक्ष्य सबूत लेकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक सम्पूर्ण वारिसों के हक में विधिसम्मत निर्णय पारित करें "।

उप खण्ड अधिकारी सिकराय के अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट गणपत सिंह पुत्र सुरजन सिंह द्वारा प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने तथा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 130 दिनाक 20.10.87 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट शम्भू सिंह का कब्जा नहीं रहा न ही कब्जा है तथा विवादित भूमि से उसका कोई संबंध नहीं है । रेस्पोंडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में जो सजरा अंकित किया है वह भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4 से मिलकर झूठा व निराधार है । खातेदार जीवन सिंह के केवल मात्र तीन पुत्र गंगासिंह, सुरजन सिंह व लक्ष्मण सिंह थे , कोई पुत्री सोना बाई नहीं थी । ऐसी स्थिति में सोना बाई जीवन सिंह की पुत्री थी ही नहीं तो लक्ष्मण सिंह की भूमि में हिस्सा प्राप्त करने हेतु शम्भू सिंह द्वारा

प्रस्तुत अपील गलत व निराधार थी । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई प्रमाण नहीं था कि सोना बाई जीवन सिंह की पुत्री है , फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने शम्भू सिंह को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण व विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि का विक्रय दिनांक 26.9.14 को श्रीमति उर्मिला देवी पत्नि बनवारी लाल व गुलाब देवी पत्नि कल्याण सहाय सैनी को विक्रय करदी थी और विक्रय पत्र दिनांक 30.9.2014 को पंजीकृत करवा कर कब्जा सम्भला दिया था जिससे रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4 व्यथित हुये और उप खण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो निरस्त हो गया । रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4 ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से साजिश करके अपीलान्ट को बिना सूचना दिये तथा भूमि के खरीददारों को बिना पक्षकार बनाये ही अपील प्रस्तुत की थी जिस पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट शम्भू सिंह द्वारा उप खण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है जिसमें ही पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होगा । प्रश्नगत नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट द्वारा पेश किये गये दावे से पूर्व ही तस्दीक हो चुका था जिसे कानूनन यथावत रखने का प्रावधान है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील करीबन 27 वर्ष के विलम्ब से पेश हुई थी जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दू पर निर्णय किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय करने में कानूनी भूल की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखा जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद विवादित भूमि के खातेदार लक्ष्मण सिंह के लॉऔलाद फौत होने पर उसकी बिरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण के संबंध में है । ग्राम पंचायत दुब्बी ने लक्ष्मण सिंह की विरासत का नामांतरकरण संख्या 130 दिनांक 20.10.87 को मृतक के भाई सुरजन सिंह के पुत्रान गणपत सिंह, अमर सिंह, बनेसिंह, मदन सिंह के नाम तस्दीक किया है । रेस्पोंडेन्ट शम्भू सिंह मृतक खातेदार लक्ष्मण सिंह की बहिन सोना बाई का पुत्र होने के आधार पर लक्ष्मण सिंह की भूमि में हक चाहता है । दूसरी ओर अपीलान्ट सोना बाई को विवादित भूमि के मूल खातेदार जीवन सिंह की पुत्री होना नहीं बताते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट शम्भूसिंह की अपील अपीलाधीन निर्णय से स्वीकार कर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार सिकराय को मूल खातेदार के सम्पूर्ण वारिसान की पूर्ण जॉच कर उभयपक्षों को सुनकर साक्ष्य सबूत लेकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के

मुताबिक सम्पूर्ण वारिसों के हक में विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है । हम समझते हैं कि पक्षकारों के मध्य उपरोक्त विवादक तहसीलदार के समक्ष सुनवाई , दस्तावेजात एवं साक्ष्य के परीक्षण के उपरान्त ही हल होगें । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर